

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

रमेश कुमार दूबे,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,  
योजना एवं मोनिटरिंग, राँची।

मुख्य अभियंता,  
लघु सिंचाई, राँची।

मुख्य अभियंता,  
रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची।

मुख्य अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, राँची।

मुख्य अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर।

मुख्य अभियंता,  
सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स,  
आदित्यपुर जमशेदपुर।

मुख्य अभियंता,  
सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स,  
आदित्यपुर जमशेदपुर।

मुख्य अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, देवघर।

मुख्य अभियंता,  
अग्रिम योजना, राँची।

मुख्य अभियंता,  
लघु सिंचाई दुमका।

मुख्य अभियंता (यॉत्रिक)  
जल संसाधन विभाग, राँची।

मुख्य अभियंता,  
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची।

**स्मार**

राँची, दिनांक :-

**विषय:-**स्थानान्तरित अभियंताओं को विरमित करने के संबंध में।

**प्रसंग:-**विभागीय पत्रांक-363 दिनांक 24.01.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ लिया जाय। उक्त द्वारा सभी स्थानान्तरित अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से विरमित करते हुए संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु वांछित अनुपालन प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि आपके प्रक्षेत्राधीन स्थानान्तरित अभियंताओं से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

अनु.-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

( रमेश कुमार दूबे )  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- 781

राँची, दिनांक :- 27/02/19

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

( रमेश कुमार दूबे )  
सरकार के विशेष सचिव।

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

रमेश कुमार दूबे,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

मुख्य अभियंता,  
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची।

राँची, दिनांक:- 24/01/19

विषय:- स्थानांतरित अभियंताओं को विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं०-3837 दिनांक-20.11.18, अधिसूचना सं०-3838 दिनांक-20.11.18, अधिसूचना सं०-3839 दिनांक-20.11.18, अधिसूचना सं०-3840 दिनांक-20.11.18, अधिसूचना सं०-5616 दिनांक-27.12.18, अधिसूचना सं०-5618 दिनांक-27.12.18, अधिसूचना सं०-5620 दिनांक-27.12.18 एवं अधिसूचना सं०-5673 दिनांक-31.12.18 द्वारा कतिपय सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंतागण का स्थानान्तरण किया गया है।

2. अतः यह निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थानान्तरित सभी अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाय अन्यथा विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक-31.01.2019 के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

साथ ही, संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक-10.02.2018 तक उपलब्ध कराया जाय।

3. विरमित नहीं होने की स्थिति में यदि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित अभियंता का माह फरवरी 2019 का वेतन भुगतान किया जाता है, तो इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाषा

(रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

झापांक- 363

राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)

सरकार के विशेष सचिव